राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भा.स./मा.द./2010–11 जयपुर, दिनांक: 31-1-11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **श्रमिकों को फार्म नम्बर 6 उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था करने बाबत।**

महोदय,

विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा दिनांक 17.01.2011 को विभाग की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा नरेगा श्रमिकों को फार्म नं. 6 उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे है तथा श्रमिकों से फार्म नं. 6 जानबूझकर प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं। फार्म नं. 6 सभी व्यक्तियों को सुगमता से उपलब्ध हो इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

1. सभी ग्राम पंचायतों में निम्न स्थानों पर फार्म नं. 6 पर्याप्त संख्या में रखवाए जाने की व्यवस्था करें, जिससे कि सभी श्रमिकों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके :–

(i) ग्राम पंचायत कार्यालय	(ii) आंगनबाड़ी केन्द्र
(iii) राजकीय विद्यालय	(iv) राशन की दुकान
(v) आशा सहयोगिनी	(vi) उप स्वास्थ्य केन्द्र
(vii) मेट के पास	(viii) पटवार घर
(ix) निरीक्षक भू–अभिलेख (गिरदावर)	(x) नरेगा कार्यस्थल

2. उपरोक्त स्थानों पर कार्यरत राजकीय कर्मचारी या प्रतिनिधि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार फार्म नं. 6 उपलब्ध करवायेगें। उक्त स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों को निर्देश दिये जावे कि वे फार्म नं. 6 भरने में श्रमिकों की सहायता करें। भरा हुआ फार्म नं. 6 उनसे प्राप्त कर तीन दिवस में ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सेवक के पास पहुचायेगें।

3. उपरोक्त स्थानों पर नियोजित सभी कार्मिकों कों फार्म नं. 6 भरने का व्यापक प्रशिक्षण दिया जावे।

4. फार्म नं. 6 जिन स्थानों पर उपलब्ध होंगे, उनका व्यापक प्रचार–प्रसार पंचायत स्तर पर एवं प्रत्येक ग्राम/ढाणियों में करवाया जावे। इसकी सूचना पंचायत क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थानों यथा– पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य राजकीय स्थानों के नोटिस बोर्ड पर लगवाई जावे। ग्राम में सभी सुस्पष्ट स्थलों पर भी उक्त सूचना चस्पा करवाई जावे।

5. ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सेवक अथवा उनका प्रतिनिधि भरे हुये फार्म नं. 6 उक्त सभी व्यक्तियों से सप्ताह में दो बार एकत्रित करेंगे।

6. फार्म नं. 6 भरते समय भरने वाले व्यक्ति को यह भी प्रशिक्षण दिया जावे कि वे श्रमिकों की इच्छानुसार फार्म नं. 6 पांच–पांच के समूह में प्राप्त करें।

7. फार्म नं. 6 की रसीद ग्राम सेवक एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा संबंधित श्रमिकों को दी जायेगी। रसीद का वितरण सीधे ही ग्राम सेवक एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा श्रमिकों को किया जावे।

8. इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा नरेगा स्थाई समिति की बैठकों में भी की जावे।

अतः उक्त दोनों बिन्दुओं पर ठोस कार्यवाही कर दिनांक 15.02.2011 तक रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाए।

भवदीय,

31/1/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
3. PS to Hon'ble Min, RD & P. Raj

31/1/11
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस